उ0प्र0 शासन

पंचायती राज अनुभाग-3

संख्याः 63/2020/2990/33-3-2020-62/2020

लखनऊः दिनांकः 24 दिसम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

सामान्य पंचायत निर्वाचन, 2015 के पश्चात् गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल दिनांक 25.12.2020 को समाप्त हो रहा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-12 की उपधारा-3 में यह प्रावधान है कि ''कोई ग्राम पंचायत जब तक कि उसे धारा-95 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन पहले की विघटित न कर दिया जाय, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 05 वर्ष तक न कि उससे अधिक बनी रहेगी। इसी प्रकार उक्त धारा की उपधारा(4) में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाय, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेगा।''

2- उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3-क) में यह भी प्रावधान है कि ''इस अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी ग्राम पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासनिक समिति, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छह माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी कि उक्त आदेश में विर्निदिष्ट की जाए, पद धारण करेगा और ग्राम पंचायत, उसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निवर्हन किया जायेगा।''

3- ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2021 के पश्चात् संगठित की जाने वाली नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक के लिए नियत की जाने वाली तिथि तक, अथवा अधिकतम छह माह की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, सहायक विकास अधिकारी से अन्यून अधिकारी को उस विकास खण्ड की सीमा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के लिए प्रशासक नियुक्त किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- नियुक्त किये जाने वाले प्रशासक में सम्बन्धित ग्राम पंचायत, उसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य निहित होंगें और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा।

5- उपरोक्त आदेश जनपद-गौतमबुद्धनगर को छोड़कर शेष जनपदों में प्रभावी होंगें।

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ आॅफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ0प्र0।
5. निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), उ0प्र0।
11. पंचायतीराज अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।